अनुसूची 21 फारम सं0 113

अनुसूची 21—फारम सं0—113

संपत्ति अवभार प्रमाण—पत्र

प्रमाण—पत्र संख्या 0216/2019---------- आवेदन सं0 ----0216/28-01-2019----------

चूंकि श्री/श्रीमति — **M/S Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd. Director Rajan Kumar Verma**----------

According to Available Record Index- I I

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण—पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 ----01-01-2006---------- से ता0---25-01-2019------तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला**सम्पति ऋण अवभार से मुक्त है**----------

---------- चला है अतः ----------

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारिख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza-Ranipur Chak Milki, **C.S.Plot No.-223,** **Khata No.-47,** **Thana No.-20,** **Tauzi No.-261,** **Area of Plot-8 Katha 14 Dhur** **10 Dhurki.**							

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director / Director

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

2. बंधक पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा मे पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुर्क्त संव्यवहारों और अव्मारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अव्मार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): Bunglows Kum Roy.

(पदनाम): Assistant Clerk.

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): अभिषेक कुमार सिन्हा

(पदनाम): G.A.Clerk

कार्यालय: अवर निबंधन कार्यालय, पटना सिटी

तारीख: --------28-01-2019----------

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

28/01/19.

28/1/19

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अव्मार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशन्स) का उल्लेख इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2 निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन उल्लेखित (बाहियों) और अनुक्रमाणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्देष्ट संपत्तियों के अव्मारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वंय करनी होगी विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वंय तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अव्मारों का सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अव्मारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक, पटना सिटी ।

दिनांक 28.01.19.

ज्ञाप संख्या---328----------

आवेदक श्री/श्रीमति **M/S Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd. Director Rajan Kumar Verma**----------

का ऋणभार प्रमाण पत्र द्वारा --To, Area Manager, LIC Housing Finance Ltd., Jeevan Prakash, Fraser Road Branch, Patna----------

का उनके पत्र संख्या---------- दिनांक ----------के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,
पटना सिटी ।
28/01/19

28/1/19